न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 48/2022 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/75
उनवान

1. श्रीमती दरीया पत्नी स्व. डुंगराम जाति रेबारी
2. श्री जगदिश पुत्र डुंगराम जाति रेबारी
3. श्री दिनेश पुत्र डुंगराम जाति रेबारी
   सभी निवासीयान रेबारीयों की ढाणी पटवार हल्का डगार तहसील सलुम्बर हाल जिला सलूम्बर।

—वादीगण

बनाम

1. श्री कारूलाल पुत्र सवजी जाति रेबारी निवासी रेबारीयों की ढाणी पटवार हल्का डगार तह. सलुम्बर।
2. श्री केशवलाल पुत्र बदाजी मीणा निवासी लाम्बी डुंगरी
3. श्रीमती कमला बाई पत्नी स्व. मकराम जाति रेबारी
4. श्री नारायण पुत्र मकराम जाति रेबारी
5. श्री मोहन पुत्र मकराम जाति रेबारी
6. श्री नरेश कुमार पुत्र कालु जाति रेबारी
7. श्री भैरूलाल पुत्र कालु जाति रेबारी
   निवासीयान रेबारीयों की ढाणी पटवार हल्का डगार तहसील सलुम्बर
8. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान मे समायोजित होने से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा इण्टालीखेडा, तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांकः—**09.07.2025**

उपस्थितिः श्री परमानन्द मेहता अधिवक्ता—वादीगण
श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता —प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसमे उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 20—09—2022 प्रकरण मे बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 490 दिनांक 06.11.2024 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष को कराया गया। वकील वादी ने प्रारम्भिक डिक्री पर अपनी आपत्ति पेश कर अंकित किया कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता संख्या 18, 53, 131, 512 मे बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर